

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 09/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एल आई सी हाउसिंग फाईनेन्स लि. पता-सी-98, उपासना टावर, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. महावीर सिंह राठौड
2. श्रीमती ममता कुमारी
पता-फ्लेट नम्बर एफ-1, फस्ट फ्लोर, प्लॉट नम्बर 212-213, प्रेस्टीज गार्डन विस्तार, विन्दायका,
सिरसी रोड, जयपुर।

अप्रार्थी ऋणी



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :-

1. श्री आर के भार्गव अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से

आदेश

दिनांक: 28.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.09.2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी महावीर सिंह राठौड के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एफ-1, फस्ट फ्लोर (साउथ साईड) प्लॉट नम्बर 212-213, प्रेस्टीज गार्डन, विस्तार विन्दायका, सिरसी रोड, जयपुर क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट को बन्धक रख कर 25,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.02.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

लक्ष्मी
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 25,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 25,25,448/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.02.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 16.09.2019 को नोटिस का प्रकाशन कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी महावीर सिंह राठौड के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एफ-1, फर्स्ट फ्लोर (साउथ साईड) प्लॉट नम्बर 212-213, प्रेस्टीज गार्डन, विस्तार बिन्दायका, सिरसी रोड, जयपुर क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।



आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 28.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर